an>

Title: Need to establish special courts in the country for speedy settlment of cases.

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्वाभाविक है कि देश के न्यायालयों में करोड़ों की संख्या में मामले होंगे और रोज लाखों मामले आएंगे भी। वर्तमान में कुल लम्बित प्रकरणों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख है, जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2 करोड़ 80 लाख तथा उच्च न्यायालयों में 44 लाख प्रकरण विचाराधीन हैं। गम्भीर प्रश्न यह है कि इन मामलों के शीघ्र निबटारे के लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्तमान में न्यायालयों में न केवल वादों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि नये-नये प्रकार के वाद भी सामने आ रहे हैं। देश में आर्थिक अपराधों के साथ-साथ साइबर क्राइम, महिला अपराधों तथा विशेष विषय प्रकरणों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विषय विशेषज्ञता के अभाव में न केवल केस लम्बे समय तक चलता है, वहीं गुणवत्तापूर्ण फैसला भी नहीं आ पाता है। हमारी न्याय व्यवस्था में प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी है। आज चिकित्सा और अभियांत्रिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमें जब आंख का इलाज कराना होता है तो हम आई-स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हृदय संबंधी रोग होने पर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। लेकिन हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यदि मेडिकल से संबंधित कोई प्रकरण कोर्ट में जाता है तो जज और वकील दोनों को बहुत अध्ययन करना पड़ता है। जिसमें समय और गुणवत्ता दोनों ही के ऊपर असर पड़ता है।

अतः मेरा संसद के माध्यम से माननीय कानून मंत्री जी से अनुरोध है कि अन्य विशेष प्रकार के अपराधों व प्रकरणों की सुनवाई के लिए विषय विशेष कोर्टों, विशेषज्ञ सरकारी वकील व विशेषज्ञ कोर्ट स्टाफ की भी भर्ती की जाए तथा उन्हें समय-समय पर उचित ट्रेनिंग दी जाए, इससे न केवल प्रकरणों की फैसला जल्दी होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण न्याय मिलना भी आसान हो जायेगा। इसकी शुरूआत देश के सभी न्यायालयों में सिविल, क्रिमिनल व कमर्शियल कोर्ट की स्थापना के माध्यम से की जा सकती है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Pushpendra Singh Chandel,

Shri Sudhir Gupta, and

Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the issue raised by Shri P.P. Chaudhary.